न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **संख्या 2021/46**

1. सुशीला शर्मा पुत्री स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी जाति ब्राहमण निवासी व्यासों का मोहल्ला, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, सांगानेर जिला जयपुर।
2. सावित्री देवी शर्मा पुत्री स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी निवासी 8, मारूती कॉलोनी, डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्यामा शर्मा पुत्री स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी निवासी बी–116, विजय पथ, तिलकनगर, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. महेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी, जाति ब्राहमण निवासी 9, मारूती कॉलानी, अमृत अस्पताल के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी जाति ब्राहमण निवासी 31, दादू नगर, पानी की टंकी के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी, जाति ब्राहमण निवासी 133, आसीन्द नगर, सांगानेर जिला जयपुर।
4. सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी, जाति ब्राहमण निवासी 72, मारूती कोलोनी, सांगानेर जिला जयपुर।
5. राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी, जाति ब्राहमण निवासी नगर निगम रोड, पानी की टंकी के पास, सांगानेर जिला जयपुर।
6. उप–तहसीलदार बगरू जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील बगरू जिला जयपुर दिनांक 18.01.2021 प्रकरण संख्या 4/2020 उनवानी सुशीला वगै0 बनाम महेश कुमार वगै0

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अनिल कुमार अनुपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री संजय कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक –12.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील बगरू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.01.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र दिनांक 4–7–2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 2333 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2334 रकबा 5.06 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2336/8027 रकबा 0.22 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 5.68 हेक्टेयर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का विरासत के आधार पर नामांतकरण अपीलांट के नाम खोला जावे। प्रार्थनापत्र के साथ अपीलांट ने अपने पिताजी नानगराम शर्मा पुत्र कल्याण बक्स का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं माता कमला देवी पत्नि नानगराम शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात पेश किये एवं यह भी अंकित किया कि उक्त संपत्ति को उनके पिता स्व० नानगराम शर्मा द्वारा अपने स्वअर्जित धन से अपनी धर्मपत्नि व अपीलांट की माता श्रीमती कमला देवी पुत्री कल्याण बक्श के नाम से दिनांक 13.08.1969 को पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर भंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह से क्रय की गयी एवं उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 576 दिनांक 9.3.1973 द्वारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया था। अपीलांट के पिता नानगराम जी का दिनांक 10.4.2018 को व माता श्रीमती कमला देवी का दिनांक 28.4.2019 को निर्वसीयत देहान्त हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट–प्रार्थीगण उनके विधिक वारीसान की हैसियत से वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए उक्त भूमि का नामांतकरण अपीलांट प्रार्थीगण के नाम खोला जावे । अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/ बयान/दस्तावेज/पटवारी हल्का रिपोर्ट/तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त वारिसान सूचि/वसीयत/विक्रयपत्र/नामांतकरण प्रति के आधार पर मृतका खातेदार कमला देवी पुत्री स्व० कल्याण बक्ष द्वारा अपने पुत्रो महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 नानगराम के पक्ष में दिनांक 11–10–2018 को करवाई गयी वसीयत/अंतिम इच्छा के अनुरूप पटवारी हल्का बगरूकलां को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बगरूकला के खसरा नंबर 2333 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2334 रकबा 5.06 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2336/8027 रकबा 0.22 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 5.68 हेक्टेयर की खातेदारी कमला देवी पुत्री स्व० कल्याण बक्ष जाति ब्राहम्ण निवासी 88 न्यू स्कीम बनीपार्क जयपुर के स्थान पर उनके पांचो पुत्रों महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पिता स्व० श्री नानगराम के पक्ष में बराबर–बराबर किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुशीला शर्मा पुत्री स्व. श्री नानगराम शर्मा व स्व0 कमला देवी वगै द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.01.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी साक्ष्य/बयान देने का कोई अवसर ही नहीं दिया तथा न्यायिक प्रक्रिया के सुस्थापित विधिक सिद्धान्तो के विपरीत जाकर प्रतिवादीगण के बयान लेखबद्ध किये एवं उनकी हितबद्ध साक्ष्य लेकर, केवल उसी को आधार बनाकर अपना आलोच्य निर्णय पारित किया है। प्रकरण में कोविड–19 महामारी के कारण किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने व फैसला नहीं दिये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये हुऐ थे, जिसका सर्कुलर/आदेश भी अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा था। चूंकि अपीलांट वृद्ध महिलाऐ थी एवं 70 वर्ष से अधिक उम्र की थी। इसलिए उन्होने अपने बयान/साक्ष्य बाद में पेश करने को कहा था। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने कोविड–19 महामारी के दौरान भी छोटी–छोटी तारीख पेशी देकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करते हुऐ उन्ही को आधार बनाकर अपना आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण ने जो दस्तावेज वसीयत व विक्रयपत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये गये है, वे

दस्तावेजात साक्ष्य के समय पेश नहीं किये गये,बल्कि दिनांक 25-8-2020 की आदेशिका से ही स्पष्ट है कि आदेशिका पूरी लिखने के बाद उक्त दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत उक्त दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये एवं तत्पश्चात उन्ही दस्तावेजो को आधार बनाकर अपना आलोच्य निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलांट व प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा का वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम-19 सांगानेर जयपुर में विचाराधीन है, जिसमें उक्त वसीयत व विक्रयपत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करके अपना निर्णय पारित करने में गंभीर भूल की है। उक्त मामले में स्थगन प्रार्थनापत्र विचाराधीन चल रहा था, इसलिए पहले उसका निस्तारण किया जाना आवश्यक था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण करने से पहले ही प्रकरण का निस्तारण कर न्यायिक प्रावधानो की अवहेलना की है। इसलिए आलोच्य निर्णय निरस्तनीय है। मृतका कमला के पति अर्थात अपीलांट के पिता पटवारी थे एवं कमला एक गृहणी थी, उनकी आय का कोई स्रोत नहीं था। इससे स्पष्ट है कि नानगराम जी की आय से ही वादग्रस्त भूमि क्रय की गयी थी। जिसमें अपीलांट का विधिक हक व हिस्सा है। मृतका के पिता व ससुर का नाम एक ही पं. कल्याण बहाथा, जिसका अनुचित फायदा उठाकर विक्रयपत्र में कमला देवी को पुत्री दर्शाया गया है एवं उक्त विक्रयपत्र को आधार बनाकरं अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर आलोच्य निर्णय पारित कराया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। नायब तहसीलदार ने आनन-फानन में निर्णय पारित करते समय प्रार्थीगण अपीलार्थी के अलावा शिवानी त्रिवेदी व आदित्य त्रिवेदी का नाम भी प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर अपने निर्णय में अंकित कर दिया। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि आदित्य त्रिवेदी गत दो-तीन वर्षो से 1 यूक्रेन में अध्ययनरत है, फिर भी निर्णय उसके खिलाफ अनुचित रूप से पारित किया गया है। इसलिए आलोच्य निर्णय अपास्त किया जावे। अपीलांट की ओर से पूर्व में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया गया, लेकिन अपीलांट को नकल नहीं दी गयी। तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 15-10-2020 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया गया, उसके बाद आगामी पेशी 22-12-2020 दी गयी । लेकिन दिनांक 29-11-2020 को अपीलांट के अधिवक्ता के पिताजी का स्वर्गवास हो गया एवं जब दिनांक 22-12-2020 को अधिवक्ता से फोन पर बात हुई तो उन्होने प्रकरण में फरवरी माह की तारीख पेशी दिया जाना बताया एवं अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अधिनस्थ न्यायालय के बाबू सुनील कुमार से लगातार फोन पर बात होती रही, उसने भी कोविड-19 महामारी की वजह से प्रकरण में कोई एडवर्स निर्णय पारित नहीं होने की बात बतायी थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पहले तो दिनांक. 22-12-2020 को अपीलांट की साक्ष्य बंद कर दी गयी एवं उसके बाद 30-12-2020 की पेशी देकर उसके बाद दिनांक 11-1-2021 को निर्णय हेतु तारीख पेशी नियत कर दी एवं दिनांक 18-1-2021 को निर्णय पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गयी । अपीलांट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण की मालूमात की एवं प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए दिनांक 11-2-2021 को आवेदन किया, प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15-2-2021 को प्राप्त हुई। तब जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही व आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होते ही विधिक परामर्श लेकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं उनकी साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप तहसील, बगरू जिला जयपुर (राज.) दिनांक 18.01.2021 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थिया सुशीला शर्मा, सावित्री देवी एवं श्यामादेवी पुत्रियान् स्व. श्री नानगराम शर्मा एवं स्व. कमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2019 प्रस्तुत कर ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2333 रकबा 0.40 है०, खसरा नं. 2334 रकबा 5.06 है० व खसरा नं. 2336/8027 रकबा 0.22 है० कुल किता 03 रकबा 5.68 है0 का विरासत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने के लिए आवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के पिता श्री नानगराम शर्मा पुत्र कल्याण बक्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु दिनांक 10.04.2018 एवं स्वयं की माता कमला देवी पत्नी श्री नानगराम शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु दिनांक 28.04.2019 व अन्य दस्तावेज पेश कर विरासत के आधार पर नामांतकरण खोलने का निवेदन किया। साथ ही अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त सम्पत्ति को उनके पिता स्व. श्री नानग राम शर्मा पुत्र कल्याण बक्स द्वारा स्वअर्जित धन से अपनी धर्मपत्नी व प्रार्थीगण की माता श्रीमती कमला देवी पुत्री कल्याण बक्श के नाम से दिनांक 13.08.1969 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह से क्रय करना तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 576 दिनांक 09.03.1973 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बतलाया गया। प्रार्थिया सुशीला शर्मा, सावित्री देवी एवं श्यामादेवी पुत्रियान् स्व. श्री नानगराम शर्मा एवं स्व. कमला देवी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उप तहसीलदार बगरू कार्यालय द्वारा क्रमांक/भू.अ./19/473 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा पटवारी हल्का बगरूकलां से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी बगरूकलां द्वारा प्रार्थिया सुशीला शर्मा, सावित्री देवी एवं श्यामादेवी पुत्रियान् स्व. श्री नानगराम शर्मा एवं स्व. कमला देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात् पर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2019 को प्रस्तुत करते हुए मृतक खातेदार कमला देवी पुत्री कल्याण बक्श जाति बाह्मण निवासी कस्बा सांगानेर तहसील सांगानेर होना बताया एवं मृतक खातेदार कमला देवी पुत्री कल्याण बक्श की वारिसान् जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर से उपलब्ध कराने हेतु पेश की। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./19/513 दिनांक 12.07.2019 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सांगानेर को मय मूल पत्रावली मृतक खातेदार कमला देवी पत्नी स्वं श्री नानगराम शर्मा निवासी सांगानेर के वारिसान् की जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रत्युत्तर में श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सांगानेर के पत्रांक/भू.अ./2019/2984 दिनांक 09.08.2019 द्वारा पटवारी हल्का सांगानेर द्वारा तैयार फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.08.2019 तहसील कार्यालय को प्राप्त होने पर पटवारी हल्का बगरूकलां को तहसील कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./19/581 दिनांक 13.08.19 के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। अपीलांट के पिता नानगराम जी का दिनांक 10–4–2018 को व माता श्रीमती कमला देवी का दिनांक 28.4.2019 को निर्वसीयत देहान्त हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट–प्रार्थीगण उनके विधिक वारीसान की हैसियत से वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए उक्त भूमि का नामांतकरण अपीलांट प्रार्थीगण के नाम खोला जावे। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/बयान/दस्तावेज/पटवारी हल्का रिपोर्ट/तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त वारिसान सूचि/वसीयत/विक्रयपत्र/ नामांतकरण प्रति के आधार पर मृतका खातेदार कमला देवी पुत्री स्व० कल्याण बक्ष द्वारा अपने पुत्रो महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 नानगराम के पक्ष में दिनांक 11–10–2018 को करवाई गयी वसीयत/अंतिम इच्छा के अनुरूप पटवारी हल्का बगरूकलां को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बगरूकला के खसरा नंबर 2333 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2334 रकबा 5.06 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2336/8027 रकबा 0.22 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 5.68 हेक्टेयर की खातेदारी कमला देवी पुत्री स्व० कल्याण बक्ष जाति ब्राहम्ण निवासी 88 न्यू स्कीम बनीपार्क जयपुर के स्थान पर उनके पांचो पुत्रो

महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पिता स्व० श्री नानगराम के पक्ष में बराबर–बराबर किए जाने की स्वीकृति दी गयी है। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला द्वारा मृतका खातेदार की स्वंय अर्जित सम्पत्ति जरिये वसीयत अपने पुत्रों के नाम जॉच कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्वत् निर्णय पारित गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलान्ट की अपील में अंकित कथनो एवं वकील रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद मृतका कमला देवी पुत्री स्व. कल्याण बक्ष जाति ब्राहमण निवासी 88, न्यू स्कीम बनीपार्क जयपुर की विरासत को लेकर है। मृतका कमला देवी पत्नी नानगराम के निधन के पश्चात उसकी तीन पुत्रियां सुशीला शर्मा, सावित्री देवी शर्मा, श्यामा शर्मा एवं 5 पुत्र महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा हैं। यह निर्विवाद है कि किसी भी खातेदार द्वारा विरासत से प्राप्त हुई सम्पत्ति में उसके सभी वारिसान को बराबर हिस्सा प्राप्त होना चाहिएं अविभाज्य हिन्दू सम्पत्ति में उसके सभी वारिसान को बराबर हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। अविभाज्य हिन्दू कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के सभी सदस्य जन्म से ही पैत्रक सम्पत्ति में हिस्सा विधिनुरूप है। प्रकरण में ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2333 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 2334 रकबा 5.06 है0 व खसरा नम्बर 2336/8027 रकबा 0.22 है0 कुल किता 03 रकबा 5.68 है0 की खातेदारी कमला देवी पुत्री स्व. कल्याण बक्ष जाति ब्राहमण, निवासी 88, न्यू स्कीम, बनीपार्क, जयपुर के नाम पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उनके नाम हस्तांतरित हुई है। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि उक्त संपत्ति स्व–अर्जित है। एवं स्व–अर्जित संपत्ति को खातेदार/धारक किसी को भी विक्रय/उपहार/दान/वसीयत करने के लिए स्वतंत्र हैं एवं प्रकरण में समस्त वादीगण संख्या 1 से 5 यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति स्व–अर्जित नहीं है। किसी भी नोटरी प्रमाणित दस्तावेज का अपंजीकृत होने की सूरत में अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपंजीकृत वसीयत को अवैध व शून्य करार दिए जाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय का आदेश साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया है। और ना ही किसी न्यायालय में वादीगण द्वारा वसीयत की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया गया है। जिससे यह स्वप्रमाणित है कि मृतका खातेदार कमला देवी पुत्री स्व. कल्याण बक्ष जिसके द्वारा यह सम्पत्ति दिनांक 13.08.1969 को जारिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है। वह स्वयं अर्जित सम्पत्ति जरिये वसीयत अपने पुत्रों महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पिता स्व. श्री नानगराम को हस्तांतरित करने के कानूनी रूप से हकदार होने के कारण से स्वयं कमला देवी पुत्री स्व. कल्याण बक्ष ने अपने पुत्रों महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पिता स्व. श्री नानगराम के हक में दिनांक 11.10.2018 को वसीयत करवाई है। उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर ने अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/बयान/दस्तावेज/पटवारी हल्का रिपोर्ट/तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त वारिसान सूचि/वसीयत/विक्रयपत्र/नामांतकरण प्रति के आधार पर मृतका खातेदार कमला देवी पुत्री स्व० कल्याण बक्ष द्वारा अपने पुत्रो महेश कुमार शर्मा,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 नानगराम के पक्ष में दिनांक 11–10–2018 को करवाई गयी वसीयत/अंतिम इच्छा के अनुरूप पटवारी हल्का बगरूकलां को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बगरूकला के खसरा नंबर 2333 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2334 रकबा 5.06 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2336/8027 रकबा 0.22 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 5.68 हेक्टेयर की खातेदारी कमला देवी पुत्री स्व० कल्याण बक्ष जाति ब्राहम्ण निवासी 88 न्यू स्कीम बनीपार्क जयपुर के स्थान पर उनके पांचो पुत्रो महेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा पिता स्व० श्री नानगराम के पक्ष में बराबर–बराबर किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2021 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 18.01.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर